भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 1920

दिनांक 22.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाइपकृत पेयजल योजना

1920. कुंवर दानिश अलीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पाइपकृत पेयजल योजना के कार्यान्वयन हेतु आधारभूत अवसंरचना की लागत का दस प्रतिशत अंशदान समुदाय द्वारा वहन किया जाएगा;

(ख) उक्त अंशदान के लिए ग्राम सभाओं की बैठक बुलाकर कम से कम अस्सी प्रतिशत परिवारों की स्वीकृति मांगी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब ग्रामवासी उक्त अंशदान देने में सक्षम होंगे?

उत्तर

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत निर्मित गांव की जलापूर्ति संरचनाओं के लिए ग्रामीण समुदायों के मध्य 'स्वामित्व की भावना' पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, वनीय/पहाड़ी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों के मामले में 'केवल गांव की जलापूर्ति संरचना' के पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत तक और शेष क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत तक सामुदायिक अंशदान देने का प्रावधान किया गया है। योजना की सफलतापूर्वक शुरूआत के बाद समुदायों को गांव की अवसंरचना के कुल लागत का 10 प्रतिशत तक वापस किया जाएगा। यह

राशि किसी बड़ी खराबी, आवश्यक आपातकालीन मरम्मत पर व्यय करने हेतु आवर्ती निधि के रूप में उपयोग की जाएगी ताकि परिवारों को निरंतर जलापूर्ति मिलती रहे।

(ख) और (ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत, स्थानीय समुदायों को कार्यक्रम के केंद्र में रखा गया है। स्थानीय पेयजल स्रोत सुदृढ़ीकरण, गांव के जलापूर्ति अवसंरचनाएं, ग्रे-वॉटर प्रबंधन एवं पुन: उपयोग और निधियां जुटाकर इन प्रणालियों के प्रचालन एवं रख-रखाव जैसे विभिन्न कार्यों को इंगित करते हुए ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने तथा निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थानों को दिया गया 15वां वित्त आयोग अनुदान, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, कम्पा निधि, जिला मिनरल विकास निधि (डीएमडीएफ), सांसद/एमएलए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, सीएसआर निधि, स्वैच्छिक योगदान आदि और इसके साथ-साथ समुदाय के स्वयं के अंशदान शामिल हैं।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्रामीण समुदायों को समुचित निर्णय लेने के लिए समर्थ बनाने के लिए ग्राम सभा द्वारा, बैठक में मौजूद 80 प्रतिशत ग्रामीणों की मंजूरी के साथ वीएपी का अनुमोदन किया जाता है। इस प्रावधान का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को उनकी निर्णय लेने की भूमिका में सशक्त बनाना है ताकि वे दीर्घकाल तक और नियमित आधार पर पीने योग्य जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जलापूर्ति प्रणाली का प्रबंधन, प्रचालन व रख-रखाव कर सकें।

ग्राम पंचायत और/अथवा इसकी उप-समिति अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति/उपयोक्ता समूह आदि गरीब, अक्षम, दिव्यांगजन अथवा विधवा जिनके पास आय का निश्चित स्रोत न हो, उन्हें निजी अंशदान देने में छूट दे सकते हैं। इसके अलावा, सामुदायिक अंशदान नकद और/अथवा वस्तु और/अथवा श्रम के रूप में दिया जा सकता है।

*****